



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र.

837

क्रमांक.../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2024-25

दिनांक 01/11/25

//आदेश//

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 मध्याह्नसंशोधित 2013 एवं 2016 की मरा 3(ब) में विनियमित प्रावधानों की अंतर्गत शर्तों की गई निम्नलिखित शर्तों के प्रतिवेदन के अन्तर्गत पर आयोग की 195 की बैठक दिनांक 27/03/2025 में दिये गये निर्णय के अनुसार म.प्र. निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के अन्तर्गत पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम में शीट संख्या में वृद्धि कर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शैक्षणिक शीट संख्या के अनुसार संचालन करने की शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमति निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

| क्र. | विषय का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | कार्यक्रम में स्वीकृत शीट संख्या (एक 8 की अनुपात) | प्रस्तावित नवीन/वृद्धि शीट संख्या | स्वीकृत कुल शीट संख्या | संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक | अनुमति अन्तर्गत क्रमांक |
|------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Bhabha Pharmacy Research Institute | B. Pharma | 60 | 40 | 100 | PCI - 226 Date: 07.10.2024 | 13 |

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजीसी एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजीसी एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं अन्य मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गार्डर लार्डन/मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः करना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से प्रेडिग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदंडों की पूर्ति करना होगा।
- यूजीसी के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचालित करना होगा।

निसं० 2

